Name of the Bank	Gross	SPAs .	Net NPA	
	Amount-	%agc of gross adys	Amount	%of Net advs.
11. Bank of Baroda	3129.28	14.63	1290.35	6.60
12. Bank of India	2669.00	11.55	1570.00	7.13
13. Bank of Maharashtra	709.09	17.39	316.57	8.59
14. Canara Bank	3580.81	18.69	1255.29	7.52
15. Central Bank of India	2414.53	20.47	1384.74	12.21
16. Corporation Bank	341.86	7.60	125.46	2.93
17. Dena Bank	774.79	13.73	439.43	8.28
18. Indian Bank	3428.39	38.96	1886.67	26.01
19. Indian Overseas Bank	1255.00	13.38	543.00	6.26
20. Oriental Bank of Commerce	397.23	6.16	287.15	4.84
21. Punjab & Sind Bank	1038.90	26.79	345.08	10.84
22. Punjab National Bank	2447.00	14.50	1526.00	9.60
23. Syndicate Bank	1185.29	15.31	401.94	5.78
24. UCO Bank	1780.30	24.04	705.12	11.14
25. Union Bank of India	1194.73	11.18	787.89	7.66
26. United Bank of India	1451.00	33.50	415.00	12.10
27. Vijaya Bank	532.95	15.21	276.16	7.50
Total for Nationalised Banks	30130.38	16.88	14440.50	8.87
Total for PSBs	45652.64	16.02	21178.19	8.13

Shortage of currency notes of smaller denominations

975. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: SHRI O. RAJAGOPAL:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the acute shortage of currency notes of smaller denominations; and

(b) if so, what steps Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) The smaller denomination notes of Re. 1, Rs. 2 and Rs. 5 have been coinised and the capacity so released has been diverted for production of higher denomination notes. Therefore, printing of these notes has been stopped (Re. 1 from September, 1994; Rs. 2 from January, 1995 and Rs. 5 from November, 1995).

With a view to improving supply of currency notes/coins, Government has taken various steps like (i) modernisation of the existing two note printing presses at Nasik and Dewas; (ii) setting up of two more note printing presses under the direct control of Reserve bank of India (i.e., one at Mysore in Karnataka and the other at Salboni in West Bengal); (iii) Modernisation of India Government Mints at Calcutta, Hyderabad and Mumbai; (iv) complete coinisation of Re. 1, Rs. 2, and Rs. 5 and diverstion of the capacity for printing of higher denomination notes; and (v) import of printed notes to the extent of 3600 million pieces (of a total face value of Rs. 1,00,000

crores) and 2000 million pieces of coins (of a total face value of Rs. 260 crores.

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जमा प्राप्ति इश्यू जारी करने हेतु अनुमति

976. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी तथा निजी क्षेत्र की उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1995-96 से आज तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जमा प्राप्ति इश्यू जारी करने हेतु अनुमति दी गई थी;

(ख) उन इश्युओं के माध्यम से कुल कितनी राष्ट्रीय तथा विदेशी मुद्रा एकत्रित हुई ;

(ग) इस एकत्रित धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया ;और

(घ) सरकार द्वारा जी.डी.आर.इश्यू के माध्यम से एकत्रित हुई धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और(ख) जी.डी.आर.तंत्र के जरिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड(एफ.सी.सी.बी.) और सामान्य शेयर जारी करने की योजना के अन्तर्गत भारतीय कंपनियों द्वारा जी.डी.आर/अमरीकी निक्षेप प्राप्ति एफसीसीबी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जारी किए जा सकते हैं ।सरकारी और निजी क्षेत्र में उन भारतीय कंपनियों की संख्या जिन्होंने .डी.आर/जी.डी.आर/एफ.सी.सी.बी.जारी किए हैं,तथा 1995-96 से जुटाई गई राशि के ब्यौरे निम्रानुसार हैं:-

वर्ष	कंपनियों की संख्या	जुटाई गई राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1995-96	7	613.00
1996-97	15	1869.64† 155.00स्विस फ्रेंक
1997-98	5	587.19† 1.87 पाउण्ड

(ग) जी.डी.आर.इश्युओं के जरिए जुटाई गई राशि को अंतिम प्रयोगों के लिए उपयोग में लाने के लिए अनुमोदित किया गया था जिनमें वे शामिल हैं-पूंजीगत माल के आयात को वित्तपोषित करना,संयंत्र उपरकर तथा भवन की देशीय खरीद/संस्थापना सहित पूंजीगत व्यय तथा साफ्टवेयर विकास में निवेश,पहले के विदेशी उधारों का पूर्वभुगतान या समयबद्व भुगतान करना,विदेशों में निवेश करना जहां ऐसे निवेश को सक्ष्म प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो तथा भारत में संयुक्त उद्यमों/ डब्ल्य.ओ.एस.में इकिवटी निवेश करना । एफ.सी.सी.बी.से हुई प्राप्तियों का प्रयोग समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर लागू मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए । कंपनियों को अपअने इश्यू से हुई प्राप्तियों का 25% तक का हिस्सा अपनी कार्यकर पूंजी संबंधी जरूरतों सहित सामान्य कार्पोरेंड पुर्नसंरचना के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई । यूरो इश्यू से हुई प्राप्तियों का प्रयोग स्टाक बाजार और स्थावर संपदा में करने की अनुमति नहीं दी गई । मई,1998 में सरकार द्वारा घोषित दिशा निर्देशों में,सिवाय स्थावर संपदा और स्टाक बाजार में इश्यू से हुई प्राप्तियों के प्रयोग पर लगे प्रतिबंध के,ए.डी.आर./जी.डी.आर.इश्यू से हुई प्राप्तियों से संबंधति सभी अंतिम प्रयोग संबंधी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं ।

(घ) जी.डी.आर./ए.डी.आर./एफ.सी.सी.बी. इश्युओं को जारी करना,विदेश में इससे संबंधित व्यय,देश में इश्यू से हुई प्राप्तियों का प्रत्यावर्तन आदि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा),1973 के उपबंधों के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन तंत्र के अधीन है ।

जी.डी.आर/ए.डी.आर./एफ.सी.सी.बी.इश्यु जारी करने वाली कंपनियों को तिमाही आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार को इश्यू से हुई प्राप्तियों के प्रयोग के संबंध में तब तक रिपोर्ट करना होता है जब